बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

विज्ञापन / सूचना

बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त सहायक का संविदा / अनुबंध के आधार पर नियोजन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों के 11 (ग्यारह) रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सहायकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. आवेदन की शर्तें एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाईट क्रमशः prdbihar.gov.in एवं yac.bih.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

3. इस विज्ञापन के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।

17.1.20

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

1363

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

विज्ञापन / सूचना

बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त सहायक को संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों के 11 (ग्यारह) रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सहायकों से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है:–

(1) संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन 02 (दो) वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए होगी। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक के लिए एक–एक वर्ष का सेवावधि विस्तार किया जायेगा।

(2) सहायकों के रिक्त 11 (ग्यारह) पदों में 03 (तीन) पद अनारक्षित, 01 (एक) पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, 02 (दो) पद अनारक्षित (महिला), 01 (एक) पद अनुसूचित जाति, 01 (एक) पद पिछड़ा वर्ग, 01 (एक) पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 01 (एक) पद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला), 01 (एक) पद अनुसूचित जाति (महिला) के लिए चिन्हित है।

(3) आवेदकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित निदेश के आलोक में नियोजित सहायक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही भुगतेय होगी।

(5) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को सरकारी सेवक के रूप में मान्यता नहीं होगी और न ही नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य होगा।

(6) अनुबंध के आधार पर नियोजन अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति को पुनर्नवीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(7) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभयपक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना देकर कभी भी नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

(8) नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित किया जायेगा।

(9) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

(10) आवेदन निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर **उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना, पिन कोड–800015** के पते पर प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) संविदा पर नियोजन हेतु स्थापना/बजट/योजना के जानकार सहायकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(12) किसी भी समय आवेदन प्राप्त करने हेतु दिये गये आदेश को बिना कारण बताए रद्द किये जाने का अधिकार विभाग को प्राप्त है।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. पदनाम :–
2. उम्मीदवार का नाम :–
3. पिता/पति का नाम :–
4. जन्मतिथि :–
5. शैक्षणिक योग्यता :–
6. अनुभव :–
7. स्थायी पता :–
8. पत्राचार का पता :–
9. आरक्षण कोटि :–

नोटः– आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आवासीय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही बजट, स्थापना एवं योजना का कार्यानुभव रखनेवाले सहायकों को साक्ष्य संलग्न करना उचित होगा।

17.1.20

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ..../2020

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को 08 (आठ) स्वच्छ प्रतियों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17.1.20

सरकार के उप सचिव।